

प्रकरण संख्या 17/2017

शुवाना माली बनाम हीरा माली पि. मंगलाम माली
पि. धन्ना माली नि. उन्डोकाखेडा
नि. उन्डोकाखेडा

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-15/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री शुवाना माली ने जरिये अधिवक्ता श्री होमप्रकाश पानीवाल ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/द्वैत खाते की भूमि ग्राम उन्डोकाखेडा पोहो मागटला तह0 माण्डलगढ मे आराजी नं 394, 395, 396, 397, 399

किता 5 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन साक्षर विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जा साथ से प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।


पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्बन्ध के अवलोकन से प्रार्थी का आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काशतकार है। पडौसियान के विवाद करने का शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया गया ग्राम उन्डोकाखेडा की आराजी नं 394, 395, 396, 397, 399

रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता कमीशनर फीस 550 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसील माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ जि-भीलवाडा